राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0

सूडा भवन–23, सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226002
e-mail-nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक 3794 / 241/NULM/2001 (MIS) दिनांक ~~सितम्बर~~ 03 अक्टूबर, 2018

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा)
उ0प्र0।

विषयः– दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (ई0एस0टी0 एण्ड पी0) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 में प्रशिक्षित एवं सेवायोजित किये गये लाभार्थियों के एम0आई0एस0 पोर्टल पर अंकित विवरण को सत्यापन एवं ट्रैकिंग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (ई0एस0टी0 एण्ड पी0) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 में प्रदेश के 1,50,000 शहरी गरीबों को प्रशिक्षित किया गया था जिसमें से 74,226 लाभार्थियों को सेवायोजित किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2017–18 में 8374 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रत्येक जनपद के चिन्हित शहरी निकायों में उपरोक्त वित्तीय वर्षों में प्रशिक्षणप्रदाताओं के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के उपरान्त सेवायोजन सम्बन्धी विवरण एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपलोड किया गया है। प्रशिक्षणप्रदाता संस्था (ई0एस0टी0 एण्ड पी0) को भुगतान किये जाने के पूर्व प्रत्येक प्रशिक्षित एवं सेवायोजित किये गये लाभार्थियों के विवरण का सत्यापन नियमानुसार किया जाना आवश्यक है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता/त्रुटि से बचा जा सके।

अतः उक्त के क्रम में जनपद को आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष प्रशिक्षित किये गये लाभार्थियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षणप्रदाता संस्था (ई0एस0टी0 एण्ड पी0) को भुगतान किये जाने से पूर्व निम्न बिन्दुओं पर सत्यापन/कार्यवाही कराया जाना आवश्यक हैः–

03/10/2018

1– पोर्टल पर लाभार्थियों का आधार नम्बर का अंकन ई0एस0टी0 एण्ड पी0 के द्वारा किया गया है अथवा नहीं ?
2– एम0आई0एस0 पोर्टल पर अंकित लाभार्थी को सम्बन्धित संस्था के द्वारा प्रशिक्षित किया गया है अथवा नहीं ?
3– लाभार्थी को प्रमाण–पत्र (सर्टिफिकेट) सम्बन्धित संस्था के द्वारा प्राप्त कराया गया है अथवा नहीं ?
4– सम्बन्धित लाभार्थी का यदि सेवायोजित विवरण पोर्टल पर अंकित है, तो वास्तव में उनका सेवायोजन हुआ है अथवा नहीं ?
5– बिन्दु सं0–04 के अनुसार यदि सम्बन्धित लाभार्थियों का सेवायोजन हुआ है तो एक वर्ष तक सेवायोजन सम्बन्धी ट्रैकिंग नियमानुसार कराया जाएं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार परीक्षणोपरान्त संतुष्ट होने के उपरान्त ही प्रशिक्षणप्रदाता संस्था (ई0एस0टी0 एण्ड पी0) को नियमानुसार भुगतान हेतु कार्यवाही की जाए।

भवदीय,

3/10/18

(उमेश प्रताप सिंह)
निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त परियोयजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), उ0प्र0 को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ हेतु।
2– डा0 कमल कुमार सिंह, राज्य मिशन प्रबन्धक (ई0एस0टी0 एण्ड पी0), एन0यू0एल0एम0, उ0प्र0 को अनुपालनार्थ।
3– श्री विवेक मोहन श्रीवास्तव, एम0आई0एस0 विशेषज्ञ, एन0यू0एल0एम0, उ0प्र0 को अनुपालनार्थ।
4– समस्त शहर मिशन प्रबन्धक, शहर मिशन प्रबन्धक इकाई, उ0प्र0 को अनुपालनार्थ।
5– सहायक वेबमास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(उमेश प्रताप सिंह)
निदेशक

NULM Letter Head